

प्रधानमन्त्री आवास योजना

(शताब्दीनगर, लोहियानगर एवं सरायकाजी योजना)

के अन्तर्गत अनावंटित / निर्माणाधीन प्लैट प्राप्त करने
की नियम एवं शर्तों की

विवरण पुस्तिका

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पंजीकरण अवधि दिनांक 1.6.73 से 15.8.73 तक

(विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 50/-)

प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट प्राप्त करने की नियम एवं शर्तों का विवरण—

1. योजना का नाम—

प्रधान मन्त्री आवास योजना

(1) शताब्दीनगर सेक्टर —एक

(2) लोहियानगर

(3) सराय काजी, गढ़ रोड़

2. योजना का कोड—

(1) शताब्दीनगर सेक्टर —एक01.....

(2) लोहियानगर02.....

(3) सराय काजी, गढ़ रोड़03.....

3. ग्राह्यता (पात्रता)—

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक वयस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्लैट्स का आवंटन डूंडा द्वारा चयनित आवेदकों के मध्य ही किया जायेगा। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाए जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3.40 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के नाम से पूरे भारतवर्ष में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, सहकारी समिति इम्प्रूवमेन्ट

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ

ԼԵԶԻԿԱ ԽՈՐԵՑԻՆ

අප්ප ධාත අර්ථ ප්‍රාග්ධන / පරිවර්තන ප්‍රාග්ධන ක්

(ገጽ ፩ ለግብይት ስራ ለገቢ ስራ ለገቢ ስራ)

ዚህን ዘመን ታሪክ

प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट प्राप्त करने की नियम एवं शर्तों का विवरण-

1. योजना का नाम-

प्रधान मन्त्री आवास योजना

(1) शताब्दीनगर सेक्टर - एक

(2) लोहियानगर

(3) सराय काजी, गढ़ रोड

2. योजना का कोड-

(1) शताब्दीनगर सेक्टर - एक

(2) लोहियानगर

(3) सराय काजी, गढ़ रोड

3. आह्वान (पत्रा)-

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। फ्लैट्स का आवंटन डूँडा द्वारा चयनित आवेदकों के मध्य ही किया जायेगा। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाए जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3.40 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवं अवयव बच्चों के पास) के नाम से पूरे भारतवर्ष में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, सहकारी समिति इम्प्लेमेंट

रूर, किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भवन/मुख्य/अन्य भवन/मुख्य नहीं होना चाहिए। यदि सम्पत्ति के आवंटन पर्याप्त आवेदक के पक्ष में पहले उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति पायी जाती है तो आवेदक का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

3.50

यदि आवेदक द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निधिरित पंजीकरण शुरू करना कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा। यदि मविब से किसी आवेदक को एक से अधिक सम्पत्ति का आवंटन हो जाता है तो आवेदक को खेदना से किसी एक आवेदित सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि खेदना से किसी एक आवेदित सम्पत्ति को छोड़कर शेष को सरेन्द्र करना होगा।

3.60

यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवेदित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4.

आवेदन कैसे करें-

4.10

आवेदन-पत्र केवल निधिरित प्राकृ-पत्र जो विवरण पुरस्कार में संलग्न है, पर व रुपये 10/- का शुल्क पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सभी श्रेणी के लिये पंजीकरण धनराशि रुपये 5,000/- (रु० पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, अथवा पे-ऑर्डर जो कि उपर्युक्त, सरेन्द्र विकसित प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निधिरित अवधि के बाद प्राप्त होने पर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र संलग्न न पाये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निवर्तन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदक को अपने बैंक खाते का नम्बर अधिकृत करना होगा।

4.20

आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित यथा निशचित निधिरित उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। ड्राफ्ट में लगभगी पंजीकरण खर्चा का उल्लेख करना होगा।

4.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु प्रति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।

(पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है।)

5. आवेदन प्रक्रिया-

5.10 प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन डूँडा से कराया जाएगा। डूँडा द्वारा सत्यापित आवेदकों के मध्य सैन्सुअली प्रक्रिया द्वारा डूँडा निकालकर फ्लैट का आवेदन किया जाएगा। लाटरी की लिख एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

5.20 तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया निम्न लाटरी डूँडा लिख को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी डूँडा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी डूँडा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

5.30 आवेदन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

5.40 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी डूँडा से आवेदन प्रस्तावित आवेदन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवेदन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

5.50 आवेदों को फ्लैट के आवेदीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवेदीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवेदी द्वारा फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6. वरीयता-

6.10 शासन द्वारा निर्गत वरीयता नीति के अनुसार आवेदन किया जाएगा। यदि वरीयता वर्ग में पान आवेदक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध फ्लैट्स/आवास अन्य वर्ग के पान के मध्य आवंटित कर दिये जायेंगे।

2

7.10

7.20

7.30

7.40

7.50

8.

8.10

8.20

- 9.10 आवंटन परचा आवांटी को फलैट का निर्माण एवं स्थलीय विकास पूर्ण होने के परचा, तदसमय तक देय सबाज किरा की धनराशि जमा करनी होगी, नियमानुसार फलैट में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत जीजर मद में देय धनराशि एवं देय दरखाज शुल्क जमा करते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवांटी द्वारा वहन करने पर आवांटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फलैट का "फलैट में निहित भूमि के बावत पट्टा विलेख एवं पंजीयन का विक्रय विलेख" का पंजीयन आवांटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवांटी द्वारा फलैट का विलेख आवंटन परचा के परचा देने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय विकास या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।
- 9.30 आवांटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।
- 9.40 यदि आवांटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के परचा कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रुपये 50/- प्रति माह की दर से आवांटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।
- 9.50 सम्पत्ति के आवंटन परचा समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/नियमों-उपनियमों आदि का अनुपालन आवांटी द्वारा करना होगा।
10. निबन्धन प्रक्रिया-
- 10.10 निम्न फलैट का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार फलैट में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत जीजर मद में देय धनराशि एवं देय दरखाज शुल्क जमा करते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवांटी द्वारा वहन करने पर आवांटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फलैट का "फलैट में निहित भूमि के बावत पट्टा विलेख एवं पंजीयन का विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। यदि फलैट का विलेख आवंटन परचा के परचा देने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय विकास या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।

स्टाम्प ड्यूटी में समायाजित किया जायेगा।

10.20 "फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विवेक एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विवेक" आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

11. फ्लैट्स का विवरण

अनावर्तित फ्लैट्स का विवरण वरीयता श्रेणीवार

कम	योजना का नाम	आवंटन हेतु अवशेष फ्लैट	वरीयता श्रेणी			
			अनुवर्ग-01	अनुवर्ग-02	अनुवर्ग-03	अनुवर्ग-04
01	02	03	04	05	06	07
01	शताब्दी नगर	10	07	01	02	—
02	लक्ष्मिनगर	08	03	02	—	03
03	सरय काजी, गढ़	76	12	—	—	64

यदि वरीयता श्रेणी के पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो किसी भी पात्र आवेदक को फ्लैट का आवंटन किया जायेगा।

फ्लैट्स का कार्पट एरिया (आवृत्त क्षेत्रफल) 22.77 वर्ग मीटर तथा एक यूनिट का सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। फ्लैट्स का डिजाइन संलग्न है। फ्लैट्स का निर्माण भूतल+तीन मंजिल अर्थात् चार मंजिल तक किया जायेगा। इस योजना में फ्लैट्स का क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निरस्तारित किया जायेगा—

- (अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण लिखि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज वापस किया जायेगा और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जायेगी।

- (ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

- (घ) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

- (द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी लिखि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

निर्मित फ्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दरता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक निर्मित फ्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर करना चाहे तो फ्लैट के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत फ्लैट की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

14. मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

14.10 यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएँ दी गयी हैं और उसने किसी वारंताविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले रूँ से वंचित

कर दिया जायेगा तथा आवंटन हो जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही आवंटन/आवंटन धनराशि को शत प्रतिशत जब करते हुए फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15. अन्य सूचनायें/शर्तें—

15.10 आवंटक का पता परिवर्तन होने पर पता परिवर्तन की सूचना सचिव, शेरु विकास प्राधिकरण को तत्काल देनी होगी। मूल आवंटन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवंटक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगी।

15.20 इस योजना के अन्तर्गत यदि आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद शेरु स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे। आवंटी एवं विकास प्राधिकरण के मध्य उत्पन्न विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

15.30 आवंटन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपपक्ष, शेरु विकास प्राधिकरण, शेरु का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस प्रक्रिया में उचित/नियम को सिद्धि/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवंटक/आवंटी को मान्य होगा।

उपपक्ष,
शेरु विकास प्राधिकरण,
शेरु।

पंजीकरण दिनांक से तक

प्रधानमंत्री योजनागर्त निमित फलैटस के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

क्र०	आवंदन हेतु शेष फलैटस की सं०	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	शेष परचाल देय धनराशि (रुपये)	पूट की धनराशि के धनराशि (रुपये)	पंजीकरण देय आवंटन धनराशि (रुपये)	धनराकष के समायोजन परचाल शेष धनराशि की फिसली का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.	10	34.07	200000	5000	30000	फलैट का शेष मूल्य 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 5 वर्ष की अवधि में देय होगा। विलम्ब की दशा में 13 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
----	----	-------	--------	------	-------	--

लोहियानगर में प्रस्तावित फलैट

2.	08	34.07	200000	5000	30000	
----	----	-------	--------	------	-------	--

सराय काली, गढ़ रोड में प्रस्तावित फलैट

3.	76	34.07	200000	5000	30000	
----	----	-------	--------	------	-------	--

आवंदन हेतु प्रस्तावित फलैटों के सम्बन्ध में पंजीकरण की वेबसाइट

(www.mdameerut.org.in) पर विवरण देखा जा सकता है।

x-x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूप में 10/- के जनरल स्टाम्प पर टिकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्ष:- उपस्थित, भ्रष्ट विकास प्राधिकरण, भ्रष्ट।

यह कि मेरा नाम पुत्र है तथा का निवासी है तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने भ्रष्ट विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवेदन सम्बन्धी नियमों, दशगुणों एवं विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवं मुझे पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में भ्रष्ट विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवेदन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक एवं उसके परिवार (पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के पास) के नाम से पूरे भारतवर्ष में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, सहकारी समिति इम्पूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवेदन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवेदित सम्पत्ति का आवेदन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये हैं तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो भ्रष्ट विकास प्राधिकरण उचित समझे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।
.....
यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।
दिनांक :
प्रमाणित स्थान:-

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

-x-x-x-x-

आवेदन पत्र संख्या.....

पंजीकरण दिनांक..... से..... तक

भरत विकास पंजीकरण, भरत।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दूला द्वारा यथानिर्णयित लक्ष्यों के मध्य लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु

पंजीकरण आवंटन-पत्र।

1- आवंटन किस फॉर्मेट की सम्पत्ति के लिये है-

(अ) योजना का नाम.....

(ब) योजना का कोड.....

2-आवेदक का नाम हिन्दी में.....

अंग्रेजी में.....

3- आवेदक की आयु..... वर्ष दिनांक..... वैवाहिक स्तर.....

4- व्यवसाय.....

5- आवेदक के पिता/पति का नाम.....

6- पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरस्थ स्थिति.....

7- स्थायी पता दूरस्थ स्थिति.....

8- आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता नम्बर, आईडोएफओसी कोड बैंक का पूरा नाम.....

9- आवेदक का आधार कार्ड नम्बर.....

10- आवेदक का दूला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु यथानिर्णयित लक्ष्यों में से कोई एक का विवरण/पंजीकरण संख्या.....

11- पंजीकरण यन्त्रागार का विवरण.....

12- यदि आवेदित श्रेणी के है तो प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित विवरण दें.....

13- आवेदक को पंजीकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंजीकरण प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया में प्रकाशित नियम एवं शर्तें आवेदक को मालूम हैं जिनका पालन करने हेतु आवेदक एतद्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि..... आवेदक के हस्ताक्षर।

आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
स्वहस्ताक्षरित चरित्र फोटो

(समिति अनुसूची की प्रती)

भरत विकास ग्रहिकरण, भरत ।

दिनांक _____

संज्ञा का नाम: _____

क्षेत्रफल _____ वर्ग मी०, _____

आवेदक का नाम _____

पिता/पत्नी/पुत्री/पुत्री/पुत्री _____

पता: _____

समा अनुराधि का विवरण

1-पुत्रीकरण अनुराधि _____

नाम/इकाई सं० _____

बैंक का नाम _____

राज्य में स्थिति _____

आवेदक के हस्ताक्षर

(बैंक की प्रत)

भारत विकास प्राधिकरण, भारत।

दिनांक _____ आवेदन पर संख्या _____

योजना का नाम: _____ सेक्टर/पोर्ट _____

क्षेत्रफल _____ वर्ग मी०, मुख्य श्रेणी _____

आवेदक का नाम _____

पिता/पत्नी/पुत्री/पुत्री/श्री _____

पता: _____

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि _____

नाम/छाफे सं० _____ दिनांक _____ धनराशि _____

बैंक का नाम _____

शब्दों में रूपसे _____

आवेदक के हस्ताक्षर

भरत विकास प्राधिकरण, भरत।

दिनांक _____ आवेदन पत्र संख्या _____

योजना का नाम: _____ क्षेत्र/पोर्ट _____
क्षेत्र _____ वर्ग मी०, _____
मूख्य श्रेणी _____

आवेदक का नाम _____
पिता/पत्नी/पुत्री/पुत्री/श्री _____
पता: _____

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि _____

नाम/ड्राफ्ट सं० _____ दिनांक _____ धनराशि _____
बैंक का नाम _____
शब्दों में रूपसे _____

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक की प्रति)

भरत विकास प्राधिकरण, भरत।

दिनांक— आवेदन पत्र संख्या—

योजना का नाम— क्षेत्र/पॉकेट

क्षेत्रफल — वर्ग मी०, मापण्ड श्रेणी—

आवेदक का नाम—

पिता/पत्नी/पुत्री/श्री—

पता—

जमा धनराशि का विवरण

1-पंजीकरण धनराशि—

नाम/क्षेत्र/पॉकेट— दिनांक— धनराशि—

बैंक का नाम—

राज्य में कपड़े—

आवेदक के हस्ताक्षर

